फ्रेंडशिप क्लबों की आड़ में अश्लीलता का कारोबार

क्या पुलिस तभी सक्रिय होगी जब किसी की जान चली जायेगी?

हाल ही में फ्रेंडशिप क्लबों की ठगी का शिकार होने पर विशाखापट्टनम के एक नौ सेना अधिकारी के पुत्र ने आत्महत्या कर ली। उसके द्वारा लिखित सुसाइड नोट के आधार पर आंध्रप्रदेश पुलिस दिल्ली पहुंची और दिल्ली पुलिस के सहयोग से फ्रेंडशिप क्लब पर छापेमारी कर गिरोह के सरगना के साथ लगभग आधा दर्जन लड़कियों को गिरफ़्त मे लिया। इसी तरह लगभग छः माह पहले 'मज़दूर मोर्चा' की शिकायत पर हरियाणा पुलिस ने छापेमारी की थी और दोषियों को पकड़ा था। यहां सवाल यह उठता है कि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे फ्रेंडशिप क्लबों के नाम पर धोखाधड़ी का जो खेल खेला जा रहा है, वह उसे दिखाई क्यों नहीं पड़ता? क्या इससे यह माना जाये कि फ्रेंडशिप क्लबों के नाम पर ठगी करने और युवकों को गुमराह करने वालों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है? लगता तो ऐसा ही है।

फ्रेंडशिप क्लबों के विज्ञापन रोज ही सभी अख़बारों में धड़ल्ले से छप रहे हैं। इन विज्ञापनों में अनेक फ़ोन नंबर दिये जाते हैं जिनसे इनके संचालकों से संपर्क साधा जा सकता है। इन विज्ञापनों में यह भी लिखा होता है कि लड़कियों को क्लब की सदस्यता निःशुल्क दी जायेगी। साथ ही यह भी लिखा होता है कि कॉलेज गर्ल्स, हाई सोसायटी की लड़कियां, एयर होस्टेस, विवाहित महिलाओं आदि से क्लब का मेंबर बनने वालों की दोस्ती करवाई जायेगी। मेंबर बनने की चाह रखने वालों में से फ्रेंडशिप क्लबों के संचालक अच्छी-खासी तगड़ी रकम वसूल करते हैं और उन्हें कुछ फ़ोन नंबर दे देते हैं। इन फ़ोन नंबरों में कई तो फर्जी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो या तो बंद होते हैं अथवा जिनसे कोई उत्तर नहीं मिलता।

फ्रेंडशिप क्लब के सदस्य जब इसकी शिकायत संचालकों से करते हैं तो उन्हें कुछ और फ़ोन नंबर दे दिये जाते हैं। इन नंबरों में से किसी पर यदि बात हो पाती है तो फ़ोन उठाने वाली लड़की अश्लील और कामुक बातें शुरू कर देती है, पर फ्रैंडशिप क्लब का मेंबर जब उनसे मिलने की बात करता है तो वे फ़ोन रख देती हैं और जल्दी फ़ोन रिसीव नहीं करतीं। फ्रेंडशिप क्लब के संचालकों से इसकी शिकायत करने का कोई परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि वे तो पूरे पैसे सदस्य बनाने के नाम पर ही वसूल कर लेते हैं। चूंकि उनका कोई पता-ठिकाना कहीं लिखा नहीं होता, इसलिए उन तक पहुंच पाना भी संभव नहीं हो पाता। इस तरह ठगी का यह कारोबार सिर्फ फ़ोन द्वारा ही संचालित होता है।

इन क्लबों के विज्ञापन इतने आकर्षक और उत्तेजक होते हैं कि पैसे वाले बहुतेरे युवक इनके जाल में फंस जाते हैं और ठगी के शिकार होते हैं। लोकलाज के भय से इन क्लबों की ठगी के शिकार अधिकांश युवक इसकी शिकायत कहीं नहीं करते और अगर कोई शिकायत करता भी है तो उसे ही दोषी ठहरा दिया जाता है। यह कहा जाता है कि लड़कियों से दोस्ती एवं मौज-मजा करने के लिए वे फ्रेंडशिप क्लबों के सदस्य बने ही क्यों? दूसरी तरफ, इन क्लबों के संचालकों की पुलिस से भी सांठगांठ होती है। पुलिस

फ्रेंडशिप क्लबों का पूरा व्यवसाय ही विज्ञापनों पर आधारित है। अगर इनके विज्ञापनों को छापने पर रोक लगा दी जाये तो इनका धंधा ही चौपट हो जायेगा और ये अपनी मौत खुद ही मर जायेंगे। पर अख़बारों का प्रबंधन कमाई की लालच में इनके विज्ञापन छापता है और छापता ही रहेगा, क्योंकि समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी का जरा भी बोध उनमें नहीं रह गया है।

इन्हें संरक्षण प्रदान करती है। बिना पुलिसिया संरक्षण के इस तरह का अनैतिक कारोबार चल ही नहीं सकता।

लेकिन कभी-कभी जब पानी सिर के ऊपर गुजरने लगता है तो पुलिस को इनका भंडाफोड़ कर कार्रवाई करनी ही पड़ती है। फ़िलहाल की गई छापेमारी में क्लब का संचालक तो पकड़ा ही गया, लगभग आधा दर्जन लड़कियां भी पकड़ी गईं जो क्लब के सदस्यों से फ़ोन पर अश्लील बातचीत करती थीं। इसके अलावा क्लब के दफ़्तर से कई मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड भी बरामद किये गये। यहां एक क्लब का संचालक तो पकड़ा गया और वह भी तब जब आंध्र प्रदेश की पुलिस इस मामले में जांच करने आई, पर ये क्लब इतनी ज़्यादा संख्या में हैं कि इक्के-दुक्के पर कार्रवाई से कोई बात नहीं बनती। बात तो तभी बन सकती है जब पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर इन पर कार्रवाई करे। जब तक इन पर लगातार कार्रवाई नहीं की जाती, इन क्लबों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। पुलिस की गिरफ़्त से छूटते ही ये नाम और फ़ोन नंबर बदल कर ठगी के इस धंधे में फ़िर से सक्रिय हो जाते हैं। चूंकि इस धंधे में मुनाफ़ा इतना ज़्यादा है और लागत कुछ भी नहीं, इसलिये कुकुरमुत्ते की तरह रोज़ ही इस तरह के क्लब खुलते रहते हैं। इसलिये इनके खिलाफ़ लगातार कार्रवाई जरूरी है। सिर्फ़ इन पर ही नहीं, उन अख़बारों के खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिये, जो इनका विज्ञापन छापते हैं। इन क्लबों का विज्ञापन छाप कर इन्हें प्रोत्साहित करने की जिम्मेवारी अख़बारों की भी है। ये भी इस अपराध में समान रूप से भागीदार हैं। अख़बार यह कह कर अपने आपको नहीं बचा सकते कि वे तो महज विज्ञापन छाप रहे हैं। जब उन्हें यह पता है कि ये फ़र्जी विज्ञापन हैं और युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करने वाले हैं तो चंद रुपयों के लालच में उन्हें ऐसे विज्ञापन हर्गिज नहीं छापने चाहिये। जिस तरह मीडिया में शराब और सिगरेट के विज्ञापन छापने पर रोक लगी हुई है, उसी तरह फ्रेंडशिप क्लबों और मसाज के विज्ञापन छापने पर भी रोक लगनी चाहिए और पुलिस को ऐसे फ़र्जी और अनैतिकता को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन छापने वाले अख़बारों के खिलाफ़ कार्रवाई भी करनी चाहिए।

गौरतलब है कि फ्रेंडशिप क्लबों का पूरा व्यवसाय ही विज्ञापनों पर आधारित है। अगर इनके विज्ञापनों को छापने पर रोक लगा दी जाये तो इनका धंधा ही चौपट हो जायेगा और ये अपनी मौत खुद ही मर जायेंगे। पर अख़बारों का प्रबंधन कमाई के लालच में इनके विज्ञापन छापता है और छापता ही रहेगा, क्योंकि समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी का जरा भी बोध उनमें नहीं रह गया है। ऐसे में, एक ही उपाय है कि उनके साथ सख़्ती से पेश आया जाये। पुलिस तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई करे ही, समाज का जागरूक तबका भी घोषणा करके उन अख़बारों का बहिष्कार कर दे जिनमें ऐसे अश्लील और युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करने वाले विज्ञापन छपते हों। ऐसा होने पर ही बात कुछ बन सकती है। उदाहरण के लिये चंद वर्ष पूर्व पटना से छपने वाले एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक ने अपने मुख पृष्ठ पर रोज़ाना अश्लील चित्र छापना शुरू किया तो पाठकों ने पत्र लिख कर अख़बार के प्रबंधन के प्रति रोष जताया और यह भी कहा कि वे अब उस अख़बार की जगह अन्य अख़बार पढ़ेंगे। अख़बार प्रबंधन के पास इस तरह के इतने ज़्यादा पत्र पहुंचे कि अख़बार ने अश्लील चित्र नहीं छापने में ही अपनी भलाई समझी।

उपरोक्त मामले में भी जागरूक पाठक अख़बारों के प्रबंधन के प्रति अपना विरोध जतायें और अश्लील एवं ठगी वाले विज्ञापन छापने पर अख़बार के बहिष्कार का संकल्प व्यक्त करें तो तुरंत ऐसे विज्ञापन छपने बंद हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी अख़बार यह नहीं चाहेगा कि उसकी पाठक संख्या कम हो।

- मनोज

ऑनर किलिंग यानी इज्जत के लिए हत्या

यह अंधेरगर्दी कब तक चलेगी?

खापों ने अब जो पतनशील रूप अख्तियार कर लिया है, उसकी जरूरत अब किसी को नहीं है। सरकार को खापों के ग़लत फैसलों पर दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। पर एक विडंबना यह भी है कि शासन और प्रशासन में उच्च पदों पर बैठे कतिपय लोग़ भी खापों के समर्थक हैं। राजनीतिक नेतागण अपना वोट बैंक बनाने अथवा बनाये रखने के लिए खापों के पंचों-सरपंचों के आगे हाथ जोड़ते दिखाई पड़ते हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए वे खापों की नाजायज बातों को भी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे यह नहीं देखते कि इक्कीसवीं सदी में आज दुनिया विकास के किस मार्ग पर खड़ी है जबकि खापें मध्ययुगीन सामंती अंधकार से निकलने को तैयार नहीं हैं। जो भी हो, आज के समय में खाप एक मरणशील संस्था है। इनका अस्तित्व अब ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है।

अखबारों में इन दिनों ऑनर किलिंग यानी इज्जत के लिए हत्या की ख़बरें सुर्ख़ियों में है। दिल्ली और इससे लगे हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑनर किलिंग की घटनायें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। और खास बात तो यह है कि इसे परंपरागत पंचायतों यानी खापों द्वारा उचित ठहराया जा रहा है। यह समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि केंद्र सरकार भी सांसत में है और वह ऐसी हत्याओं का विरोध कर रही है। प्रशासन को इस बात के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वह उन प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करे जिन्होंने आपस में विवाह कर लिया है और इस वजह से उनकी जान पर ख़तरा मंडरा रहा है।

ऑनर किलिंग की इन बढ़ती घटनाओं के पूर्व एक ही गोत्र में शादी को ले कर बवाल मचा था। खापों ने शादीशुदा जोड़ों एवं उनके परिवारों को गांवों से बाहर जाने का तुगलकी फ़र्मान जारी कर दिया था। हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खापों ने एक ही गोत्र में शादी किये जाने को सर्वथा ग़लत एवं एक अपराध ठहराते हुए हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन तक की मांग की थी और अभी भी वे इस मांग को ले कर सक्रिय हैं। खापों ने सर्वजातीय एवं सर्वखाप सम्मेलन भी आयेजित किये हैं जिनमें हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किये जाने की मांग की है। लेकिन सरकार ने उनकी इस मांग का विरोध किया है। केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली सहित हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री हुड्डा ने यह भी कहा है कि खाप पंचायतों की मनमानी नहीं चलने दी जा सकती है और कानून अपने हाथ में लेने वालों से सरकार सख़्ती से निपटेगी। इसके बावजूद खापों की मनमानी जारी है और ऑनर किलिंग की जो वारदातें सामने आ रही हैं, उनके पीछे खापों का ही बल है। खापों में सक्रिय लोग़ ही प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को उनके घरों से भागने पर मजबूर कर देते हैं और मौका मिलने पर उनकी हत्या तक कर डालते हैं। पहले इन खापों का भय इतना ज़्यादा था कि युवा वर्ग अपने गोत्र में अथवा अंतरजातीय विवाह करने के बारे में सोच तक नहीं सकता था। पर शहरीकरण बढ़ने और उच्च शिक्षा हासिल करने से उन्हें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। उन्हें यह समझ में आने लगा कि गोत्र व जाति सिर्फ़ बंधन के सिवा और कुछ नहीं है। उन्होंने इन बंधनों को तोड़ना शुरू कर दिया। परिणाम सबके सामने है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। यहां आर्थिक समृद्धि के छोटे-छोटे द्वीप तो हैं, पर सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ है। यही हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी है। यहां पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा काफ़ी मजबूत स्थिति में है। यहां पर्दा प्रथा का पूरा चलन है एवं स्त्रियों को जरा भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इस सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक ताने-बाने के कारण ही खापों का अस्तित्व यहां बना हुआ है और वे सर्वशक्ति संपन्न समझे जाते हैं। लेकिन युवाओं ने सैंकड़ों वर्ष पुरानी इन खापों की व्यवस्था को चुनौती देनी शुरू कर दी। आज ये खापें पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गई हैं।

वैसे हिंदुओं में समगोत्र में शादी नहीं करना एक सामान्य बात है। शादी के पूर्व इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कहीं वर और कन्या एक ही गोत्र के तो नहीं हैं। अगर वे एक गोत्र के निकले तो प्रायः शादी नहीं होती। जहां तक एक ही गांव में शादी का सवाल है तो इसे असंभव माना जाता है।

अगर किसी ने ऐसा करने की धृष्टता की तो उसका सामाजिक बहिष्कार निश्चित तौर पर किया जाता है। एक ही गांव के लड़के और लड़की के बीच शादी होने का उदाहरण शायद ही मिले। लेकिन अगर हरियाणा और पंजाब में ऐसा हो रहा है तो इसे परंपरा के विरुद्ध माना जायेगा और इसमें प्रगतिशीलता की भी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रेम विवाहों और अंतरजातीय शादी का विरोध करना ग़लत एवं नाजायज है। जहां तक शादीशुदा प्रेमी जोड़ों की हत्या कर देना और इज्जत के नाम पर इसे जायज ठहराने की कोशिश करना तो भयंकर अपराध है। मानव-हत्या के इस अपराध को यदि खापें उचित ठहराती हैं अथवा खापों के सदस्य इस अपराध में संलग्न पाये जाते हैं तो सरकार को इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए।

खापों ने अब जो पतनशील रूप अख्तियार कर लिया है, उसकी जरूरत अब किसी को नहीं है। सरकार को खापों के ग़लत फैसलों पर दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। पर एक विडंबना यह भी है कि शासन और प्रशासन में उच्च पदों पर बैठे कतिपय लोग़ भी खापों के समर्थक हैं। राजनीतिक नेतागण अपना वोट बैंक बनाने अथवा बनाये रखने के लिए खापों के पंचों-सरपंचों के आगे हाथ जोड़ते दिखाई पड़ते हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए वे खापों की नाजायज बातों को भी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे यह नहीं देखते कि इक्कीसवीं सदी में आज दुनिया विकास के किस मार्ग पर खड़ी है जबकि खापें मध्ययुगीन सामंती अंधकार से निकलने को तैयार नहीं हैं। जो भी हो, आज के समय में खाप एक मरणशील संस्था है। इनका अस्तित्व अब ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है।

- मनोज